ANNUAL REPORT

APRIL 2025 TO MARCH 2026

Mahesh Kumar Pandey Fellowship

SUPPORTED BY

Asha for Education
Silicon Valley Chapter

INTRODUCTION

My social journey began in 1994 alongside Sandeep Pandey, one of the co-founders of 'Asha'. From 1994 to 1996, I was deeply involved in teacher training and curriculum development for a school established for underprivileged children in the Ballia District of Uttar Pradesh.

In 1997 and 1998, I worked with the JP Trust in Sitabdiyara, Ballia, focusing on rural technology. My commitment to social causes took a significant leap in 1999 when I participated in a 1500 KM march from Pokhran to Sarnath, advocating for Nuclear Disarmament and Peace.

Between 2000 and 2005, my work expanded to address Education, RTI, MNREGA, Village empowerment, Women empowerment, and other social issues in the Hardoi and Lucknow Districts.

In 2006, I began my efforts in Kanpur, concentrating on the education of migrant children, and continued to champion various causes, including RTI, RTE, MNREGA, Women's Empowerment, the rights of Women Domestic Workers, Human rights, Labour rights, Environment, Peace, Communal harmony, and other social issues.

PROGRAM OVERVIEW

01. Education for Childrens of Brick kiln Migrant workers

he education of children of migrant laborers working in brick kilns in India presents a significant challenge. These children often face multiple barriers to accessing quality education due to the transient nature of their parents' work, socio-economic conditions, and the lack of infrastructure and support systems in the areas they migrate to. Despite these challenges, various initiatives and programs aim to provide these children with educational opportunities.

02. Right To Education

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE), is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, The RTE Act aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years.

04. Right To information

The Right to Information Act, simply known as RTI, is a revolutionary Act that aims to promote transparency in government institutions in India. The Act came into **existence in 2005, after sustained efforts** of anti-corruption activists.

03. Domestic Workers Right

The Unorganised Workers' Social Security Act 2008 is an Act of the Parliament of India enacted to provide for the social security and welfare of the unorganised workers.

05. Girls' E Library & Time Bank OF India

Asha Girls E-Library

The **Asha Girls E-Library** is an initiative of Asha Trust, Kanpur, providing girls from disadvantaged communities with free access to digital learning resources, computers, and the internet to support their education and digital literacy.

Time Bank of India – Kanpur Chapter

The **Time Bank of India – Kanpur Chapter** promotes volunteerism by encouraging individuals to contribute their time and skills for community development and social impact.

.

EK KADAM PROJECT

Apna Ghar, a residential hostel run by **Asha Trust Kanpur** under the **Ek Kadam Project**, was established in **2006** to provide education, care, and a stable environment for children of seasonal migrant brick kiln workers.

Every year, thousands of families migrate from **Bihar, Bundelkhand, and other regions** to Kanpur in search of work at brick kilns. As a result, many children are forced to discontinue their education and often become involved in child labour alongside their parents.

Apna Ghar was created to break this cycle by providing children with continuous education, safe accommodation, nutritious food, healthcare, and opportunities for holistic development. Starting with just **9 children**, the project has grown into a vibrant residential learning community. **Today, 38 children live and study at Apna Ghar, while 29 alumni have successfully completed their schooling and moved on to pursue higher education and professional careers.**

Apna Ghar: Transforming Lives through Education
Apna Ghar (Asha Trust Kanpur) | 2025–26 Highlights

🏠 Residential education centre for children rescued from migrant brick kiln families (Since 2006)

Key Achievements

- 🎓 38 children continued formal schooling (Classes 3–12).
- 📈 100% promotion of eligible students to the next grade.
- 🏅 Four students passed CBSE Class 10 with scores up to **82%**.
- 🌟 Students received school awards for honesty, optimism and good behaviour.
- 🎓 Alumni are now studying at premier institutions, including **Azim Premji University, MNNIT Allahabad and Ahmedabad University**.

Beyond Academics: Building Responsible Citizens

Holistic Development

⚽ Sports

Overall 2nd Runner-up – JMD Inter School Meet
3rd Place – Football Tournament
3rd Place – Kho-Kho Championship
Multiple Gold, Silver & Bronze medals

🌱 Life Skills

Student-led organic farming supplying fresh vegetables to the hostel kitchen.
Democratic student leadership managing sports, cleanliness, agriculture and hostel responsibilities.

💻 Digital Learning & Entrepreneurship

Study Tablets were introduced for foundational learning.
The student-run "La Choco" enterprise promoted financial literacy, teamwork, and entrepreneurship.

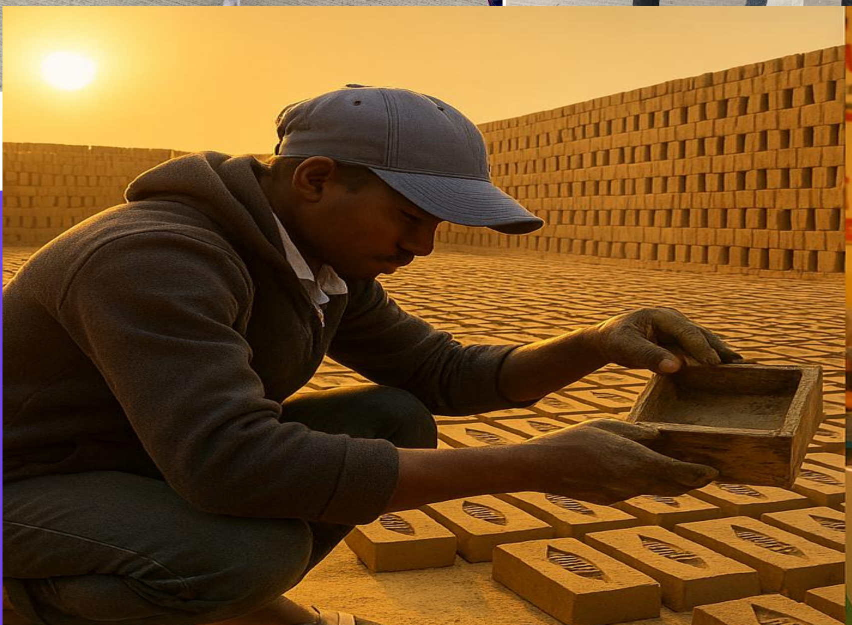

Community Engagement & Lasting Impact Creating Opportunities Beyond the Classroom

🤝 Children participated in the **80 km "Ek Kadam Gandhi Ke Sath" Peace March**, promoting non-violence and community harmony.

🌏 Hosted learning exchanges with:

Mala India supporters

IIT Kanpur Outreach Team

Gandhi Fellowship participant

Our Impact

Academic success

Leadership & responsibility

Digital inclusion

Sports excellence

Life skills & entrepreneurship

Pathways to higher education

Vision

From Brick Kilns to Bright Futures

Empowering children with education, dignity, leadership and opportunities to become confident, independent citizens.

Gate
1
Azim Premji
University
VINYAAS
HEARTILY WELCOME
TO
Asha Trust Kanpur
Happy
Birth
Day
WELCOME
EK KADAM PROJECT
Run By-Asha Trust
Collaboration With
MALA INDIA FOUNDATION

ASHA SOCIAL STUDY CENTRES

FIROZPUR, PUNJAB

This year, I supported the operation of **four Asha Social Study Centres** in the brick kilns of Firozpur, Punjab. These are three-hour informal learning centres for the children of migrant brick kiln workers who t attend formal schools.

During the 2025–26 season, the centres reached **160–200 children**, providing them with foundational literacy, numeracy, and a safe learning environment. Our goal is to help these children become literate so that they can access better educational opportunities and improve their quality of life.

The families working at these brick kilns migrate seasonally from **Bihar and the Bundelkhand region** to Punjab between **November and June** in search of livelihood. f this migration, many children remain out of school. The Asha Social Study Centres bridge this gap by ensuring that children continue learning during the migration period.

In addition to supporting the centres, I regularly participated in monthly review meetings and teacher training sessions, providing guidance and mentoring to strengthen classroom practices and improve the quality of education delivered e.

.

Asha
आशा सामाजिक शिक्षण केंद्र
CENTRE NO.4, BHATHA PEER BALOUR, FIROZPUR-PUNJAB
आशा ट्रस्ट, भंदहा कला, पोस्ट-कैथी, वाराणसी-221116 द्वारा संचालित
Supported By: Asha Trust Kanpur Centre & Aussngtith Mazdoor Union Punjab (Regd. No.8)
Dharamveer Jaura(General Secretary), Contact: 94559-22928

आशा सामाजिक
शिक्षण केंद्र
Asha
CENTRE NO.3, BHATHA ASSAL, FIROZ
आशा ट्रस्ट, भंदहा कला, पोस्ट-कैथी, वाराणसी-22
Supported By: Asha Trust Kanpur Centre & Aussngtith Mazdoor Unio
Dharamveer Jaura(General Secretary), Contact: 94659-22928
FOUR IN ONE

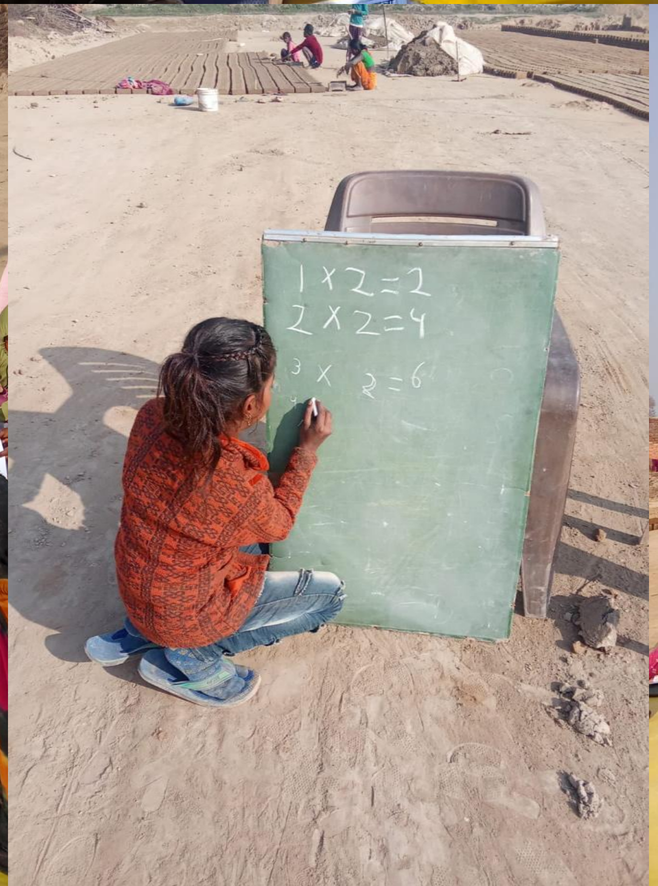
1×2=2
2×2=4
3×2=6

FOUR IN ONE

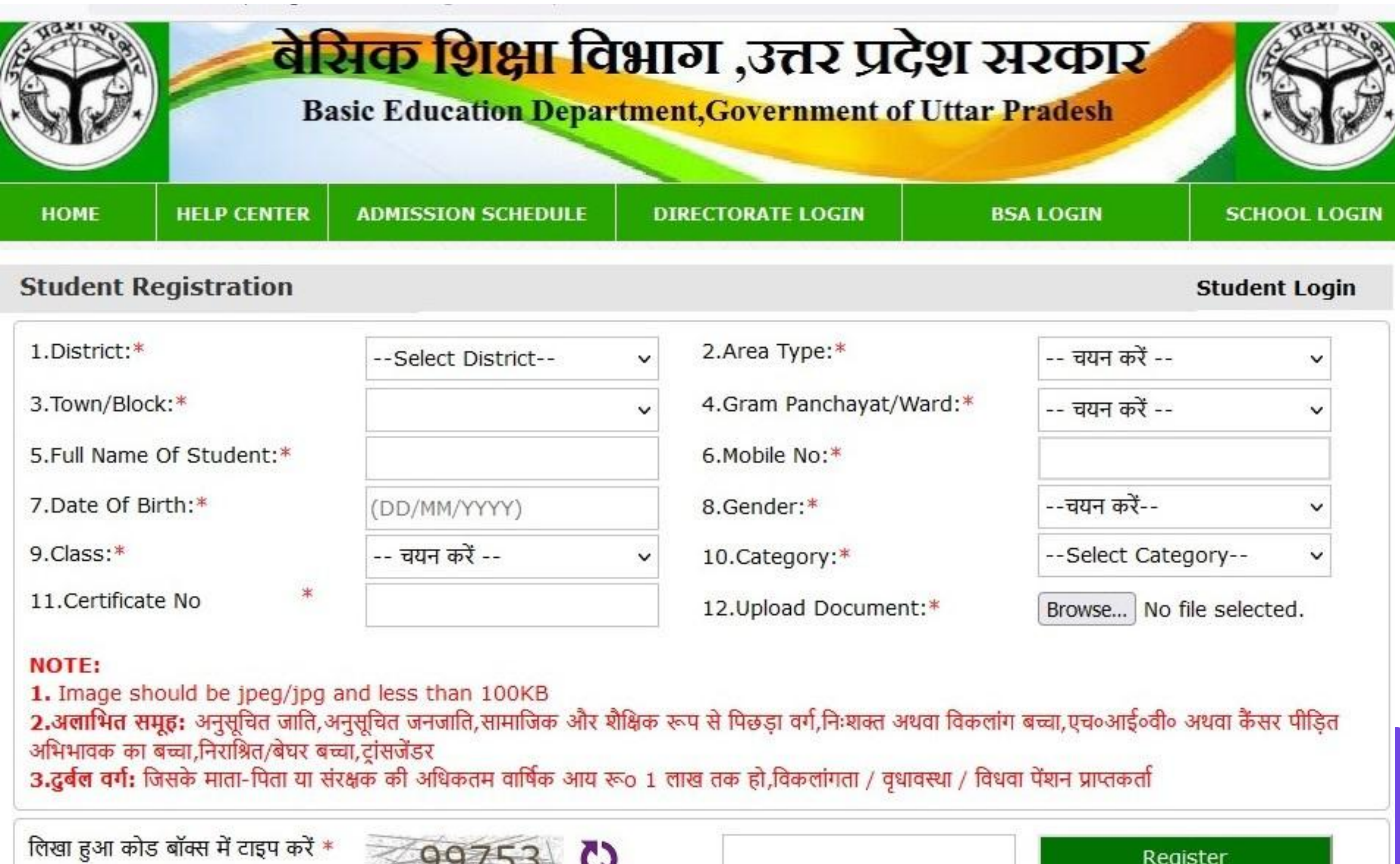

RIGHT TO EDUCATION

The **Right to Education (RTE) Act, 2009,** guarantees free and compulsory education with a **25% reservation in private schools** for children from disadvantaged families.

As part of my fellowship, I continued to support the implementation of the RTE 25% admission process in Kanpur, helping parents understand the process, required documentation, and their educational rights.

During the **2025–26 admission cycle**, **more than 10,000 children** secured admission under the RTE quota across three admission rounds in Kanpur.

However, new government guidelines introduced additional documentation requirements, including a Municipal Corporation-issued birth certificate, an additional address proof, and a parent's bank passbook. Because many vulnerable families could not obtain these documents on time, hundreds of eligible children were left out of the admissions **process.**

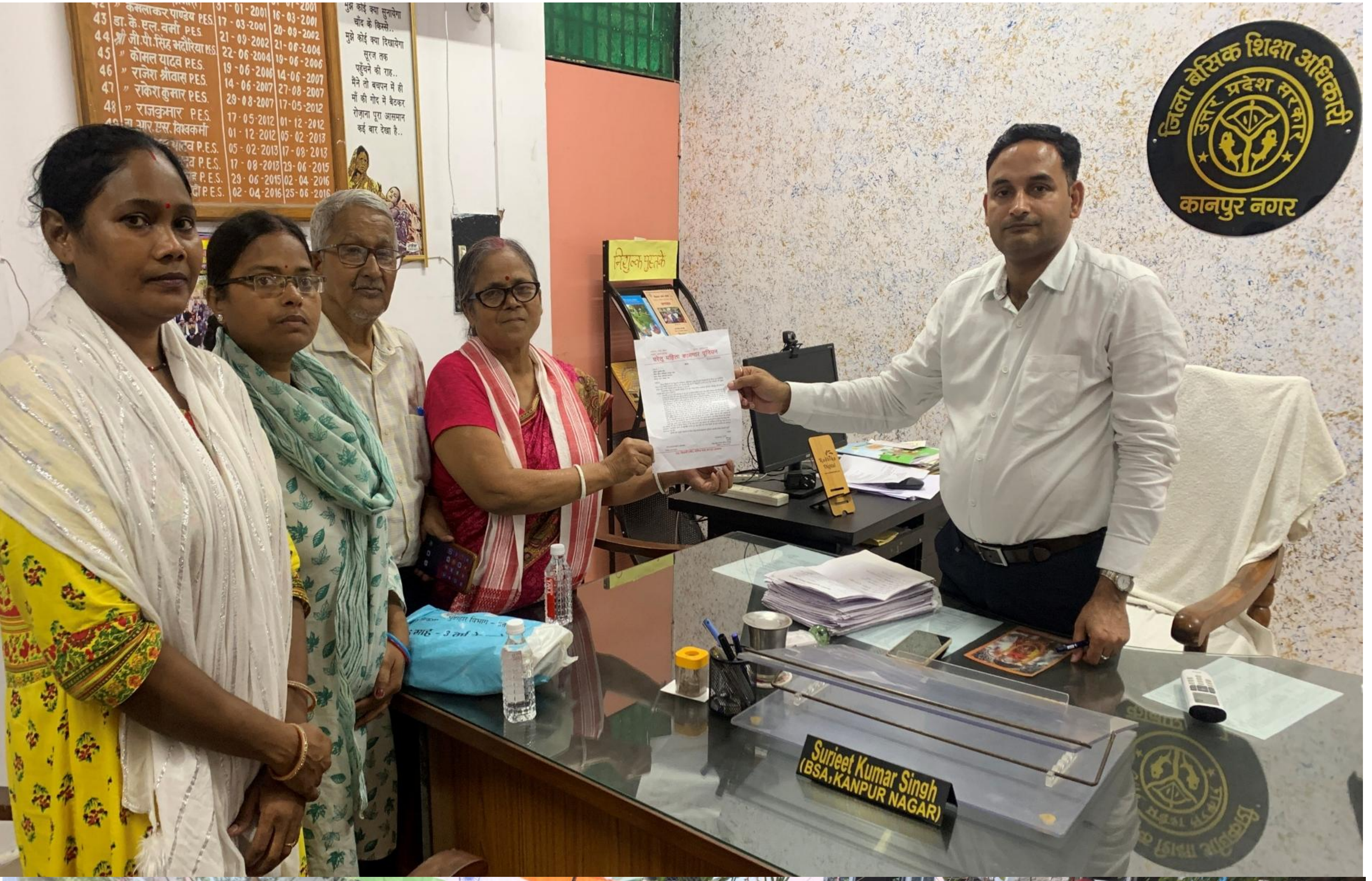

Key Achievements& Impact

Key Achievements

✅ **10,000+ children** admitted under the RTE 25% quota in Kanpur during the 2025–26 admission cycle.

✅ After years of advocacy, public campaigns, and representations to the government, the **Uttar Pradesh Government announced ₹5,000 per year** for uniforms, notebooks, and other educational materials for every child studying under the RTE quota.

✅ During this academic year, **around 22,000 RTE students in Kanpur** received this financial support.

✅ Supported the **first batch of seven RTE students** who completed Class 8. Since free education under the RTE Act ends after Class 8, these students were at risk of dropping out. Through **crowdfunding**, we raised the funds for their school fees and ensured that all seven children continued their education in the next grade.

Impact

This work demonstrated that improving access to education requires not only helping children secure school admissions but also strengthening policy implementation, advocating for systemic improvements, and supporting children to continue their education beyond admission.

शिक्षा का अधिकार मांगते
नहीं किसी से भीख मांगते
शिक्षा का अधिकार अभियान
#RTE25%
घरेलू महिला कामगार यूनियन, कानपुर, नेशनल सेंटर फॉर लेबर (NCL)

1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर
घरेलू महिला कामगार सम्मेलन और
RTE 25 % के मेधावी बच्चों का सम्मान समारोह
आयोजकः घरेलू महिला कामगार यूनियन, आशा ट्रस्ट, लोक सेवक मंडल और NCL

अमीर हो या मज़दूर की संतान
सबको शिक्षा एक समान
शिक्षा का अधिकार मांगते
नहीं किसी से भीख मांगते
शिक्षा का अधिकार अभियान
#RTE25%
आयोजक : घरेलू महिला कामगार यूनियन, कानपुर, नेशनल सेंटर फॉर लेबर (NCL

1629 निजी स्कूलों में 16 हजार बच्चों को मिलेगा निश्शुल्क दाखिला

जागरण संवाददाता, कानपुर : निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए जिले के 1629 निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में 16 हजार बच्चों को निश्शुल्क दाखिला मिलेगा। सरकार स्कूलों को फीस और अभिभावकों को ड्रेस, बुक के लिए अनुदान देगी। निजी स्कूलों में कक्षा एक और प्री-प्राइमरी में आरटीई से प्रवेश अनिवार्य रहेगा। आनलाइन आवेदन और लाटरी से चयन होगा। आरटीई में फर्जी दस्तावेज पर सख्ती की जाएगी। दो स्तर पर सत्यापन होगा और नियम तोड़ने पर स्कूल और अभिभावक दोनों पर कार्रवाई होगा। ये बातें मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने आरटीई

आरटीई

2026-27 के लिए आरटीई दाखिले की तैयारी तेज, सरकार स्कूलों को फीस और अभिभावकों को देगी ड्रेस, बुक के लिए पांच हजार रुपये

आरटीई में फर्जी दस्तावेज पर सख्ती, दो स्तर पर सत्यापन नियम तोड़ने पर स्कूल और अभिभावक दोनों पर होगी कार्रवाई

में होने वाले दाखिले की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में कहीं।

बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने डीएम को बताया कि इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दुर्बल एवं अलाभित समूह के बच्चों के लिए कुल 16,160 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3825 और शहरी क्षेत्रों के लिए 12,335 सीटें शामिल हैं। कानपुर नगर में कक्षा एक में 8,419 और प्री-प्राइमरी में 7,741 सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। हाल ही में जारी शासनादेश के अनुसार गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आसपास के दुर्बल और अलाभित वर्ग के बच्चों को कुल छात्र संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत प्रवेश देना अनिवार्य होगा। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, वहां यह 25 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था प्रारंभिक कक्षा से ही लागू होगी। अधिनियम के अंतर्गत होने वाले सभी दाखिलों की फीस सरकार द्वारा जमा की जाएगी। यदि किसी विद्यालय द्वारा अभिभावक से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त फीस ली जाती है तो उस विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार प्रति बच्चे पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं और यूनिफार्म के लिए देगी, जो सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

****

दुर्बल वर्ग के लिए आय सीमा

दुर्बल वर्ग में वे बच्चे शामिल होंगे जिनके माता-पिता या संरक्षक अंत्योदय कार्ड धारक हों, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन प्राप्त करते हों तथा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो। आरटीई अधिनियम सीबीएसई, आइसीएसई और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों पर लागू होगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है।

आनलाइन आवेदन और लाटरी से होगा चयन

दाखिले की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। आवेदन करते समय

अभिभावक अपने आसपास स्थित विद्यालयों में से प्राथमिकता क्रम के अनुसार अधिकतम दस विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। आसपास की परिभाषा ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के वार्ड के आधार पर तय की जाएगी। जिस ग्राम पंचायत या वार्ड में विद्यालय होगा, उसी क्षेत्र के पात्र बच्चों को उस विद्यालय में प्रवेश का लाभ मिलेगा। विद्यालयों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

सर्वर ने छकाया, अपलोड नहीं हुए दस्तावेज

आरटीई

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सत्र 2026-27 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन सर्वर की तकनीकी खराबी से अभिभावक अपने दस्तावेज अपलोड नहीं कर सके। 1661 स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण से एलकेजी, यूकेजी व कक्षा 1 में निशुल्क प्रवेश होने हैं।

नए सत्र में आवेदन तीन चरणों में होंगे। पहले चरण में आवेदन 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। 18 फरवरी को सत्यापन और लॉटरी निकाली जाएगी। 20 से प्रवेश होंगे। इसके बाद दूसरे चरण के लिए आवेदन 21 फरवरी से 07 मार्च तक होंगे। 09 मार्च को लॉटरी और 11 मार्च से प्रवेश होंगे। तीसरे चरण में 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन, 27 मार्च को लॉटरी, 29 मार्च से प्रवेश होंगे। अभिभावकों ने बताया कि पहले दिन दोपहर बाद वेबसाइट खुली। इससे पहले पुरानी वेबसाइट खुल रही थी, जिसके कलेवर को बदल दिया गया है। आवेदन में नाम और विवरण आदि तो भर गए लेकिन दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे थे। इमेज 30 केबी से अधिक और 100 केबी से कम के निर्देश दिए गए। लेकिन ऐसा करने पर भी इमेज डाउनलोड नहीं हुई।

एक आधार से केवल तीन बार ही आवेदन का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आधार की फोटो कॉपी अपलोड करने से रोका गया है। अभिभावक को यह सहमति भी देनी होगी कि जो आधार संख्या उसने दी है उसका उपयोग यूआईडीएआई के माध्यम से डेमोग्राफी के लिए उपयोग किया जा सकता है। आवेदन केवल अंग्रेजी में ही करना होगा। नगर में करीब 17 हजार सीटें आरक्षति की गई हैं। अभिभावकों को अपने वार्ड के विद्यालयों में ही आवेदन करना होगा। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए नर्सरी में बच्चे की उम्र 03 से अधिक लेकिन 04 वर्ष से कम, एलकेजी में 04-05 वर्ष, यूकेजी में 05-06 वर्ष और कक्षा 01 के लिए छह वर्ष या इससे अधिक लेकिन 07 वर्ष से कम होनी चाहिए। लॉटरी के बाद प्रवेश की निगरानी के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय कमेटी होगी। इसमें शिक्षा विभाग के चार अधिकारी शामिल होंगे। विशेष बात यह है कि इस बार शिकायत की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। शिकायत ऑनलाइन होगी और आईजीआरएस की तरह यह कार्य करेगी। सभी को ऑनलाइन जवाब भी देने होंगे। शिकायतों का निस्तारण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आवेदन में दिक्कत पर अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मदद ले सकते हैं। जिन बच्चों का प्रवेश होगा उनके अभिभावकों को 5000 रुपये वार्षिक मिलेगा। स्कूलों को शुल्क की प्रतिपूर्ति 450 रुपये महीने की दर से 12 माह तक की जाएगी। यदि किसी स्कूल का शुल्क इस धनराशि से कम है तो उसे कम धनराशि देय होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि आरटीई में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले निर्देशों को पढ़ लें फिर आवेदन करें। विभाग को किसी ने वेबसाइट के संदर्भ में शिकायत नहीं की है।

यह ले सकते हैं प्रवेश

- अलाभित समूह के बालक और बालिका।
- एससी, एसटी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त बच्चा
- एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता-अभिभावक का बच्चा, अनाथ बच्चा
- दुर्बल वर्ग के बालक-बालिका जिसके माता-पिता या संरक्षक, निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक (अन्त्योदय) हैं।
- जिसके माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता-वृद्धावस्था - विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता हों
- जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रुपये 1.00 लाख तक हो।

16 सौ 61 स्कूल प्राइवेट स्कूल | **17** हजार सीटें हैं इनमें

- प्रवेश न होने पर शिकायत की प्रक्रिया बदलेगी,
- आवेदन के लिए बीईओ ऑफिस में हेल्प डेस्क

अमर उजाला | प्रदेश | शासन | प्रशासन | कर्मचारी

आरटीई : सिर्फ चार जिलों ने की सभी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति

दिसंबर में जारी बजट का अब तक जिलों ने नहीं किया इस्तेमाल शासन की सख्ती के बाद मात्र 19 जिलों में आंशिक भुगतान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति और अभिभावकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के भुगतान में जिलों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। दिसंबर में बजट जारी होने के बावजूद अधिकांश जिलों ने अभी तक इसका पूरा उपयोग नहीं किया है। शासन की सख्ती के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

13 मार्च तक प्रदेश के केवल चार जिलों मैनपुरी, प्रतापगढ़, बलिया और प्रयागराज ही ऐसे हैं जिन्होंने सभी स्कूलों को शत-प्रतिशत फीस प्रतिपूर्ति कर दी है। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 450 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति दी जाती है।

इसके अलावा छात्रों के अभिभावकों को किताब, स्टेशनरी आदि के लिए 5000 रुपये सालाना की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने दिसंबर में ही जिलों को बजट जारी कर दिया था ताकि समय पर विद्यालयों और अभिभावकों को भुगतान किया जा सके, लेकिन अधिकांश जिलों में प्रगति बेहद धीमी है। अब तक 19 जिलों गौतमबुद्धनगर, बांदा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, सीतापुर, बागपत, कुशीनगर, बस्ती, गाजियाबाद, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, मेरठ, अमेठी, सिद्धार्थनगर, कन्नौज, आजमगढ़ और संतकबीरनगर ने आंशिक भुगतान किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को पत्र भेजकर इस पर नाराजगी जताई है और तत्काल बजट का उपयोग कर भुगतान की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा 16 मार्च को इस मामले की समीक्षा करेंगे।

सिर्फ गौतमबुद्धनगर ने दी पूरी वित्तीय सहायता

अभिभावकों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में भी स्थिति चिंताजनक है। केवल गौतमबुद्धनगर जिले ने 100 प्रतिशत भुगतान किया है, जबकि 11 जिलों ने आंशिक भुगतान किया है। शेष 63 जिलों में अभी तक अभिभावकों को यह सहायता नहीं मिली है।

बीएसए सोनभद्र समेत

घूसखोरी के आरोप में बस्ती का

तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 तक, 27 को निकलेगी लॉटरी

लखनऊ। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन का आखिरी चरण शुरू हो गया है। तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च तक किए जा सकेंगे जबकि लॉटरी 27 मार्च को होगी। पहले और दूसरे चरण में 1.56 लाख बच्चों को निजी विद्यालयों में सीट आवंटित की गई हैं। इनकी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा है कि आरटीई से निजी विद्यालयों में सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन की जा रही है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि आरटीई के पहले दो चरणों में लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और बुलंदशहर आदि जिलों में सर्वाधिक सीटों का आवंटन हुआ है। उन्होंने बताया कि आरटीई के आवेदन और अन्य जानकारी के लिए अभिभावक पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो

आरटीई : आवेदन शुरू होते ही बैठ गया सर्वर

कानपुर। आरटीई के तहत दाखिले के ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही पोर्टल का सर्वर फेल हो गया। पहले दिन सैकड़ों अभिभावक बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर सके। सुबह से ही अभिभावक आरटीई पोर्टल पर लॉग-इन करने की कोशिश करते रहे लेकिन कभी साइट नहीं खुली तो कभी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया।

बीएसए कार्यालय में लगी रही कतार

मदद न मिलने से भटकते रहे अभिभावक

ऑनलाइन आवेदन न हो पाने से परेशान अभिभावक शिकायत लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। कार्यालय में न तो कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध थी और न ही स्पष्ट जवाब। अभिभावक दिनभर एक काउंटर से दूसरे काउंटर के चक्कर लगाते रहे और अंत में सर्वर ठीक न होने पर लौटा दिए गए।

दाखिले की प्रक्रिया को पारदर्शी बताए जाने के दावे जमीन पर कमजोर साबित हुए। जिन परिवारों के पास सीमित संसाधन हैं, उनके लिए बार-बार इंटरनेट कैफे जाना और आवेदन करना आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से परेशानी बन गया। अभिभावकों का कहना है कि सर्वर की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए और आवेदन की समय-सीमा आगे बढ़ाई जाए। ताकि, गरीबों के बच्चे सिस्टम की खामी की भेंट न चढ़ जाएं। (संवाद)

आरटीई का दायरा 12वीं तक बढ़ाएं, मैपिंग जांचें

गोविंद नगर में कामगार सम्मेलन में बोलते संदीप पांडेय।

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) में उन स्कूलों की जांच कराई जाए जिनके यहां कई सेक्शन चलते हैं लेकिन मैपिंग केवल एक सेक्शन की कराई गई है। आरटीई का दायरा 12वीं तक बढ़ाया जाए ताकि आठवीं के बाद किसी बच्चे का नुकसान न हो।

संदीप पांडेय रविवार को घरेलू महिला कामगार यूनियन के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित घरेलू महिला कामगारों के अधिकार और मेधावी बच्चों के सम्मान समारोह पर बारात घर गोविंद नगर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने आदेश दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए पर इसपर अमल नहीं हुआ।

- **संदीप पांडेय ने कहा - बड़े स्कूलों ने केवल एक-एक सेक्शन दिखाए**
- **कानपुर में कई बंद स्कूल दिखाए जा रहे, इनकी जांच की जाए**

उन्होंने कहा कि आरटीई में कई तरह से खेल किए जा रहे हैं। स्कूलों को मैपिंग के बाद बंद दिखाया जा रहा है। यदि स्कूल बंद हो तो उसके आरटीई के बच्चों को शिफ्ट करने का प्रोवीजन होना चाहिए पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कानपुर में कई स्कूल बंद दिखाए जा रहे हैं, इनके बारे में जानकारी जुटाई जाए।

कामगार यूनियन के महामंत्री मीनू सूर ने कहा कि आरटीई का दायरा संशोधन कर कक्षा 12 तक किया जाएं।

अधिकारों के प्रति जागरूक कर किया सम्मान

गोविंदनगर स्थित बरातघर में समाजसेवी डा. संदीप पांडेय ने घरेलू महिला कामगारों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया • आयोजक

जागरण संवाददाता, कानपुर : घरेलू महिला कामगार यूनियन ने गोविंद नगर स्थित बरात घर में घरेलू महिला कामगारों के अधिकारों और मेधावी बच्चों के सम्मान समारोह का आयोजित किया। इसमें सैकड़ों महिला कामगारों ने बच्चों सहित भाग लिया। मुख्य अतिथि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित समाजसेवी डा. संदीप पांडेय ने कहा कि घरेलू महिला कामगार शहरी व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन आज भी उन्हें अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वक्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन मोना सूर ने किया। आशा ट्रस्ट, लोक सेवक मंडल, गांधी शांति प्रतिष्ठान, पीयूसीएल, पीपुल्स फोरम और नेशनल सेंटर फकर लेबर कई संगठनों का सहयोग रहा।

आरटीई: 2468 का लक्ष्य, 654 को आवंटित हुई सीटें

संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 30 Mar 2025 12:34 AM IST

कानपुर देहात। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चार चरणों में चली प्रक्रिया में 654 गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। चारों चरणों में 1080 बच्चों ने आवेदन किया था। जांच के बाद 795 को स्वीकृति मिली थी। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियमानुसार लॉटरी से चयन कर 654 को स्कूल आवंटित किए गए हैं।

Kanpur: निजी स्कूलों की खुलेगी कुंडली, RTE के तहत पुराने रिकॉर्ड के अनुसार बनेगी रैंकिंग

By Deepak Shukla On 07 Apr 2025 14:19:59

कानपुर, अमृत विचार। आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 के बाद से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूलों की कुंडली बनाई जा रही है। इसमें पिछले साल के विवादित स्कूलों को शामिल किया जा रहा है। यह कुंडली 15 अप्रैल से पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष भी रखी जाएगी।

एड्रेस प्रूफ को वोटर आईडी की कॉपी मांगी

कानपुर। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के सत्र 2026-27 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकी। आधार के अतिरिक्त एक अन्य पहचान, अभिभावक के बैंक खाते का विवरण बाधा बन गए। आधार नंबर लिया गया है जिसका सत्यापन स्वयं विभाग करेगा पर इसे एड्रेस प्रूफ नहीं मानेगा। फॉर्म भरने के दूसरे चरण में अभिभावक को पते के सत्यापन को वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक मांगा जा रहा है।

शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अभिभावकों और स्कूलों का सत्यापन कार्य पूरा

जागरण संवाददाता, कानपुर : निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश लिए बच्चों के अभिभावकों को अगले सप्ताह शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा कार्यालयों से मिली लाभार्थियों की सूची का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इसी सप्ताह या अगले सप्ताह की शुरुआत से पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई के अंतर्गत 21,718 लाभार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए प्रति छात्र पांच हजार रुपये बजट दिया है। ये बजट अभिभावकों के खाते में बच्चों की कापी, किताबों और ड्रेस खरीदने के लिए प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। वहीं, करीब सात सौ स्कूलों को प्रति बच्चे के हिसाब से फीस की राशि जारी की जाएगी।

बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि बजट आ चुका है। अभिभावकों और निजी स्कूलों के ब्योरे का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। अब राशि बैंक खातों में भिजवाने की प्रक्रिया चल रही है। अगले सप्ताह से राशि भुगतान किया जाना शुरू कर दिया जाएगा।

आवासीय विद्यालय में प्रवेश को 15 तक आवेदन

कानपुर: अटल आवासीय विद्यालय, ग्राम रामपुर नरूआ बिल्हौर में नए शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय में कक्षा छह और नौ में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। प्रवेश परीक्षा आठ मार्च को होगी।

अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह से 12 तक की शिक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाती है। कक्षा छह और नौ में कुल 226 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों, जिनका महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी जनपद की एनआइसी वेबसाइट अथवा विद्यालय के आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आनलाइन या आफलाइन भर सकते हैं।

कार्रवाई

सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे ये स्कूल

दो स्कूलों का यू-डॉयस नंबर निलंबित किया

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

- आरटीई में एडमिशन न लेने पर की गई कार्रवाई

अमृत विचार। अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश न देने पर शहर के दो निजी स्कूलों का यूडायस नंबर निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों स्कूलों में डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविन्द नगर और एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम कल्याणपुर शामिल हैं।

नंबर निलंबित होने के बाद अब दोनो स्कूल सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोनो स्कूलों से जुड़े अभिभावक जनता दर्शन में लगातार अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी को दाखिला कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने कोई रुचि नहीं दिखाई। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में नियति मिश्रा और प्रनय सोनी को 30 दिसम्बर 2024 और 29 जनवरी 2025 को प्रवेश आवंटित हुआ था। कई बार नोटिस देने और 8 व 9 अक्टूबर को अंतिम चेतावनी देने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने साफ कह दिया कि आरटीई के तहत कोई प्रवेश नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल में दिव्यम श्रीवास्तव, मानवेन्द्र और मोहम्मद रेयान अख़्तर को आरटीई के तहत दाख़िला आवंटित हुआ था। विद्यालय ने तीनों बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। 9 जून, 11 जुलाई और 19 सितम्बर 2025 को विभाग ने बार-बार नोटिस जारी किए, खंड शिक्षा अधिकारी शास्त्री नगर ने कई बार विद्यालय पहुंचकर प्रयास किया, लेकिन प्रधानाचार्या ने न तो दाख़िला लिया और न ही कोई जवाब दिया।

दोनों विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवंटित बच्चों का प्रवेश कराने में समुचित रुचि नहीं दिखा रहे हैं। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में इस वर्ष आरटीई के तहत 30 बच्चों को दाखिले के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन विद्यालय ने केवल 12 बच्चों को ही प्रवेश दिया। इसी प्रकार एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल में 35 बच्चों का आवंटन हुआ था, जबकि इनमें से मात्र 7 बच्चों का ही दाख़िला लिया गया जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध है। इन स्कूलों में शेष बच्चों का प्रवेश न होने से अभिभावक लगातार परेशान हैं और डीएम सहित विभिन्न जन प्रतिनिधियों से मिलकर लगातार एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों की संस्तुति के बाद दोनों विद्यालयों के यू-डॉयस नम्बर निलम्बित कर दिए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है।

दाखिला न देने पर दो स्कूलों का यू-डायस नंबर निलंबित

- जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने जांच के बाद की कार्रवाई
- दोनों में आरटीई नियम के अनुसार बच्चों के दाखिले में लापरवाही

जागरण संवाददाता, कानपुर : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश न देने पर जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) का पालन न करने के आरोप में गोविंदनगर और केशवपुरम स्थित दो बड़े निजी स्कूलों के यू-डायस नंबर निलंबित कर दिए गए। दोनों विद्यालयों ने कई बार नोटिस देने के बावजूद आरटीई के तहत आवंटित बच्चों को दाखिला नहीं दिया।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गोविंद नगर स्थित स्कूल में नियति मिश्र व प्रनय सोनी को दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में प्रवेश आवंटित हुआ था, जबकि केशवपुरम स्थित स्कूल में दिव्यम श्रीवास्तव, मानवेन्द्र और मोहम्मद रेयान अख्तर का एडमिशन होना था, लेकिन दोनों स्कूल प्रबंधन ने नोटिस, निरीक्षण और चेतावनियों के बावजूद आरटीई के तहत प्रवेश देने से इन्कार कर दिया। गोविंद नगर के स्कूल में इस वर्ष आरटीई के तहत 30 में से

> आरटीई का उद्देश्य वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। विद्यालयों को चाहिए कि वे इस दायित्व को निभाकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में भूमिका निभाएं। ऐसा नहीं करने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
>
> **जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी**

केवल 12 बच्चों को और केशवपुरम स्थित निजी स्कूल में 35 में से मात्र सात बच्चों को प्रवेश दिया गया।

बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि यू-डायस नंबर किसी विद्यालय की शैक्षणिक पहचान है। इसके निलंबित होने पर विद्यालय योजनाओं से वंचित हो जाता है। नए विद्यार्थियों का पंजीकरण रुक जाता है। मान्यता निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस शैक्षणिक सत्र में 712 विद्यालयों में कुल 4663 बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन कराया गया है।

हिन्दुस्तान । www.livehindustan.com

जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

प्रवेश न देने वाले दो स्कूलों का यू-डायस निलंबित

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एडमिशन न लेने वाले शहर के दो विद्यालयों का यू-डायस नंबर (स्कूल का आधार की तरह विशिष्ट नंबर) निलंबित कर दिया गया है। इन स्कूलों ने प्रवेश को लेकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बात भी नहीं मानी।

> शिक्षा का अधिकार अधिनियम से प्रवेश केवल कानूनी दायित्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। जिन विद्यालयों ने अभी तक आरटीई के तहत आवंटित बच्चों का दाखिला नहीं लिया है, वे आगे आकर इस जिम्मेदारी को निभाएं। **- जितेंद्र प्रताप सिंह, डीएम**

> विद्यालय का यू-डायस नंबर उसकी शैक्षणिक पहचान है। इसके निलम्बित होते ही विद्यालय विभागीय पोर्टलों पर अपडेट नहीं हो पाता और सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाता है। दाखिले रुक जाएंगे। मान्यता निरस्त की प्रक्रिया शुरू होगी। **- सुरजीत कुमार सिंह, बीएसए**

शिक्षा विभाग ने आरटीई 2009 की धारा 12 (1) (ग) का पालन न करने पर गोविंद नगर और केशवपुरम स्थित स्कूल का यू-डायस नंबर निलंबित कर दिया गया है। इन विद्यालयों ने आवंटन के बावजूद कई बच्चों के प्रवेश नहीं लिए। अभिभावक जनता दर्शन में गए लेकिन स्कूलों ने वहां के निर्देश भी नहीं माने। एक अभिभावक के बच्चे के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश किया तो उसका और उसके भाई का एडमिशन हो गया लेकिन अन्य का प्रवेश नहीं हुआ। इसके बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसए को प्रवेश के लिए निर्देश दिए लेकिन अफसरों के बार-बार स्कूल जाने के बावजूद विद्यालयों ने रुचि नहीं दिखाई। बीएसए के मुताबिक गोविंद नगर स्थित स्कूल में नियति मिश्रा और प्रनय सोनी को पहले 30 दिसंबर 2024 और फिर 29 जनवरी 2025 को प्रवेश आवंटित हुआ था। दो बार नोटिसों के साथ अंतिम चेतावनी दी लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने दाखिला नहीं लिया। वहीं, केशवपुरम स्थित स्कूल में दिव्यम श्रीवास्तव, मानवेन्द्र और मोहम्मद रेयान अख्तर को आरटीई के तहत दाखिला आवंटित हुआ था। गोविंद नगर स्थित स्कूल ने 30 में 12 और केशवपुरम स्थित स्कूल ने 35 में केवल सात बच्चों को प्रवेश दिया। अब तक 4663 बच्चों का 712 स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश हुआ है।

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The **Right to Information (RTI) Act, 2005,** is a landmark law that promotes transparency, accountability, and citizen participation in governance by giving people the legal right to access information from public authorities.

As part of my fellowship, I continued supporting citizens in using the RTI Act to address issues related to education, public services, and government schemes. Between **April 2025 and March 2026**, I provided guidance on filing RTI applications, first appeals, and other RTI-related matters. During this period, I received **approximately 250 phone calls from individuals seeking RTI support**.

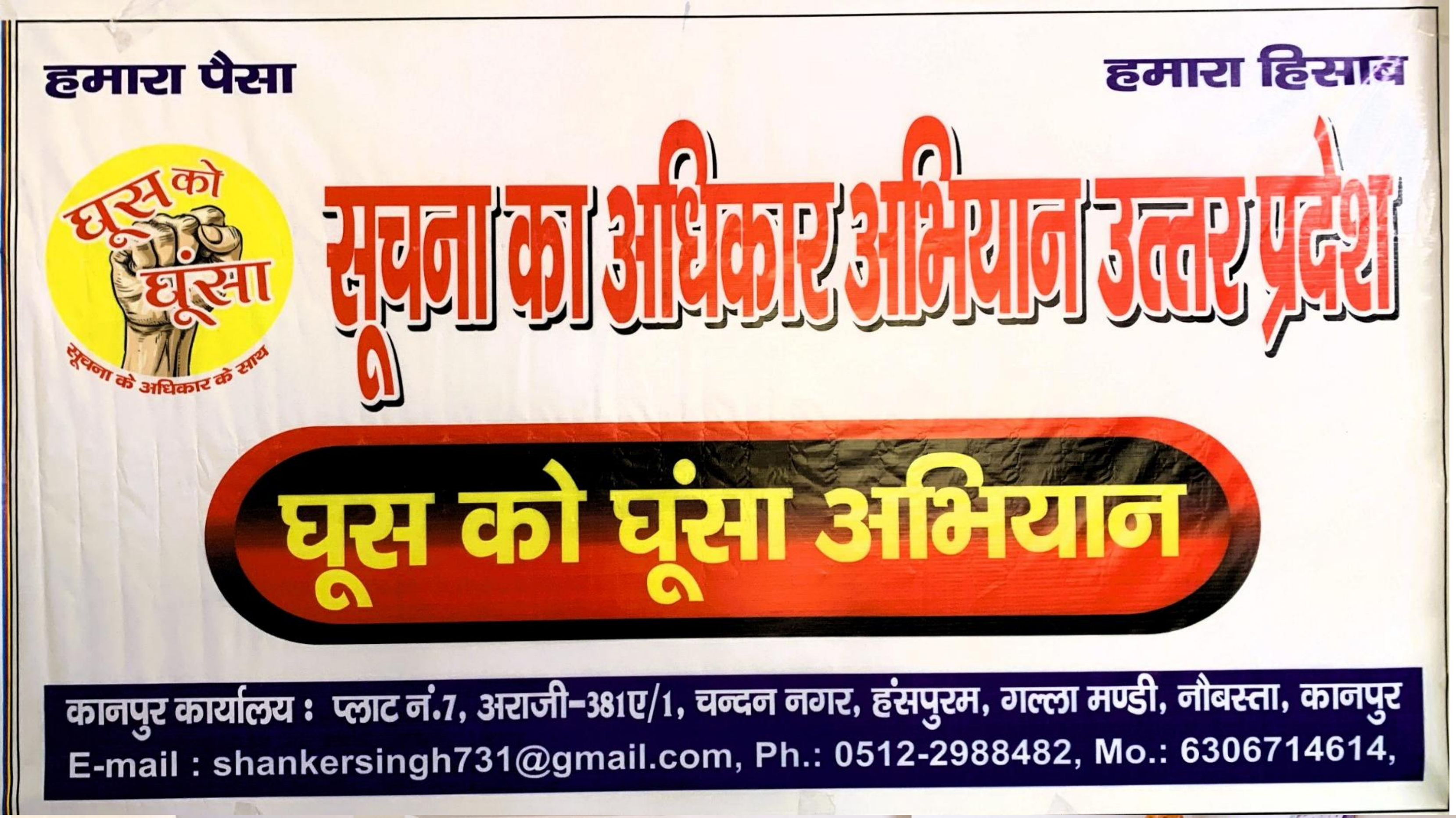

Key Contributions & Impact

Key Achievements

📞 Provided RTI guidance to **around 250 citizens** through phone consultations on RTI applications, appeals, and related procedures.

💻 Participated in **8 RTI webinars**, sharing knowledge and promoting the effective use of the RTI Act.

🤝 Regularly attended meetings of **"Ghoos Ko Ghoonsa"**, a Kanpur-based network of RTI activists, where members discuss strategies for using the Right to Information Act more effectively to improve transparency, accountability, and public service delivery.

📚 Continued supporting citizens in using RTI as a peaceful and legal tool to resolve public grievances and strengthen democratic participation.

Impact

Increased awareness and confidence among citizens in using the RTI Act.

Strengthened collaboration with RTI activists and civil society groups.

Promoted transparency and accountability through information-based advocacy.

Enhanced my own understanding of governance, citizen rights, and evidence-based social action

Empowering Women Domestic Workers through Social Security

The **Unorganised Workers' Social Security Act, 2008,** aims **t**o extend social security benefits to workers in the informal sector, including domestic workers, by improving their access to government welfare schemes and social protection.

As part of my fellowship, I worked with the **Gharelu Mahila Kamgar Union** in Kanpur to strengthen awareness and access to these entitlements among women domestic workers. Through regular community engagement, we encouraged workers to register on the **e-Shram Portal** and with the Labour Department so they could benefit from existing social security schemes.

During the year, we held **around 45 neighbourhood meetings**, reaching women domestic workers across different communities in Kanpur. These meetings focused on labour rights, social security registration, and access to government welfare programmes.

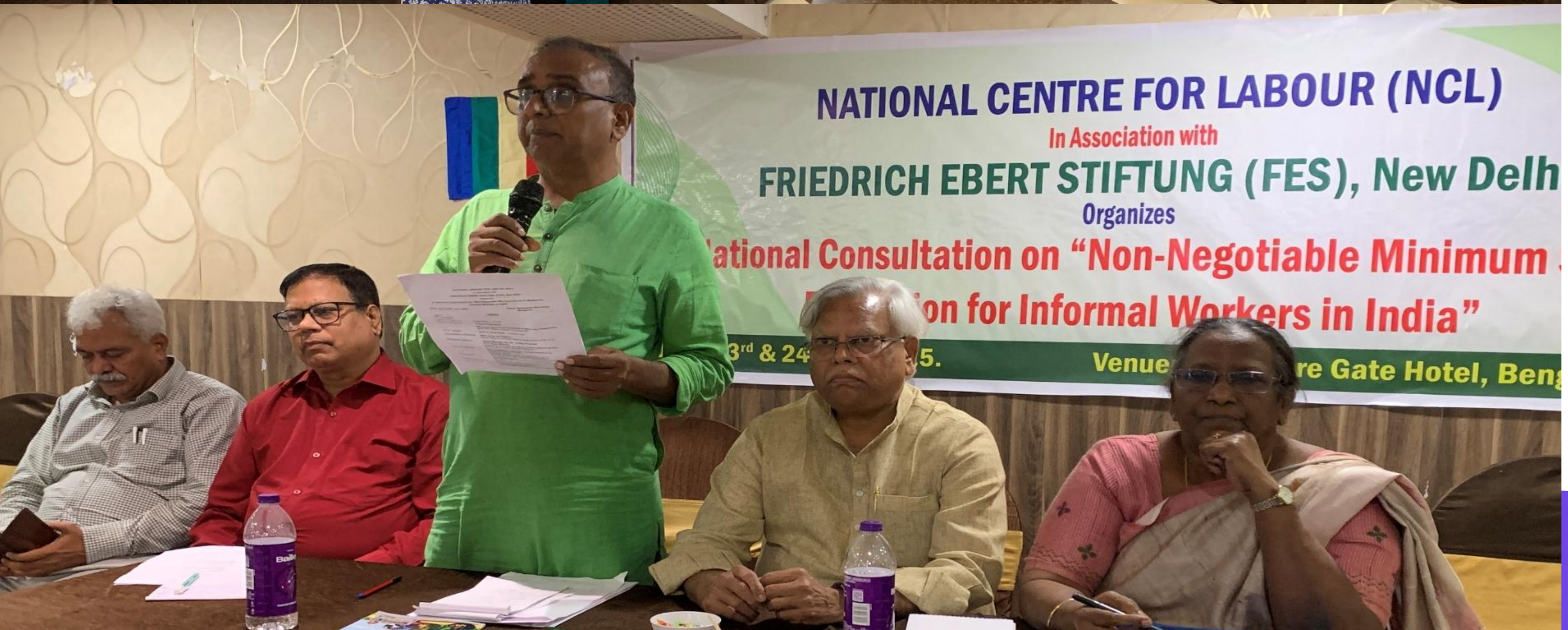

Key Achievements & Impact

Key Achievements

👭 Organised **around 45 community meetings** with members of the **Gharelu Mahila Kamgar Union, Kanpur**, to spread awareness about social security schemes and workers' rights.

📝 Guided domestic workers through the **e-Shram and Labour Department registration process**, enabling them to access government welfare benefits.

🏫 Created awareness about **Atal Awasiya Vidyalayas**, informing workers that children of eligible unorganised workers can receive **free residential education from Classes 6 to 12**, and explained the admission process.

🤝 Participated in **National Centre for Labour (NCL)** conferences in **Bengaluru and Lucknow** to strengthen the domestic workers' movement.

🌍 Facilitated the affiliation of the **Gharelu Mahila Kamgar Union, Kanpur**, with the National Centre for Labour (NCL), making the union part of a national federation of workers' organisations.

Impact

Increased awareness of labour rights and social security among women domestic workers.

Improved access to government welfare schemes through registration and information support.

Expanded educational opportunities for workers' children through awareness of Atal Awasiya Vidyalayas.

Strengthened the organisational capacity and national representation of the **Gharelu Mahila Kamgar Union** by connecting it with the **National Centre for Labour (NCL)**.

HUMAN RIGHTS, PEACE AND FRIENDSHIP

The **People's Union for Civil Liberties (PUCL)**, founded under the leadership of **Jayaprakash Narayan**, has been one of India's leading human rights organisations, working to protect civil liberties, democratic values, and the rights of marginalised communities.

As a **founding member of the PUCL Kanpur Chapter**, I continued working with fellow members to promote human rights awareness and strengthen democratic participation. Throughout the year, we regularly engaged with citizens through meetings, campaigns, and public discussions on civil liberties, workers' rights, and constitutional values.

On **Human Rights Day**, we held a public awareness meeting that hundreds of women attended, where they learned about their fundamental rights and legal protections.

.

Key Contributions & Impact

Key Achievements

🗳️ During the **Special Intensive Revision (SIR)** of the electoral rolls, we d a **15-day voter assistance camp** in Kanpur to help citizens locate their names in the voter list and correctly fill and submit SIR forms.

👥 Continued participating in regular **PUCL Kanpur** meetings to discuss emerging human rights issues and collective actions for protecting civil liberties.

🏭 Highlighted the need to strengthen efforts for safeguarding the rights of industrial workers affected by the closure and decline of Kanpur's mills.

🤝 Through the **Kanpur Nagarik Manch**, regularly engaged with citizens on a wide range of social and civic issues, encouraging public participation and democratic dialogue.

📢 d awareness programmes and community discussions to promote constitutional values, human rights, and active citizenship.

Impact

These initiatives strengthened community awareness of human rights, improved citizens' participation in democratic processes such as voter registration, and reinforced collaboration among civil society s working for justice, equality, and constitutional rights.

TIME BANK OF INDIA
Kanpur Chapter

The **Time Bank of India (TBI)**, founded in **2018** by **Dr P. C. Jain**, is India's first time-based volunteer movement where people exchange their **time, skills, and services instead of money** to support one another. Inspired by the concept of time banking, the initiative promotes volunteerism, community service, social connections, and care for the elderly and vulnerable people.

The **Kanpur Chapter** was established nearly five years ago, but became inactive due to the absence of a City Administrator. In **October 2025**, I took on the responsibility of **City Admin** and worked to revive the chapter.

My initial efforts focused on organising the first chapter meeting, reviewing and approving pending member registrations, reconnecting existing members, and establishing a roadmap for regular monthly meetings. Since then, the chapter has become active again, with members meeting regularly to expand the network, discuss community initiatives, and coordinate volunteer support across the city.

दैनिक भास्कर
epaper.dainikbhaskarup.com
08 Sep 2025 - E-Paper Lucknow 08 Sep 20253

कानपुर में खुला टाइम बैंक, यहां सिर्फ समय का होगा लेन-देन...

परोपकार की बनेगी पासबुक, जरूरत पर मिलेगी मदद

18वीं शताब्दी में जापान से शुरू हुआ था टाइम बैंक

भास्कर ब्यूरो

कानपुर। परोपकार का खाता स्वर्ग के साथ-साथ अब अपने शहर-राज्य में खोल सकते हैं। इस वास्ते दस्तक देनी होगी टाइम बैंक में। अद्भुत परिकल्पना वाले इस बैंक में रुपए-पैसे नहीं जमा होते हैं, यहां सुरक्षित रखा जाता है आपका समय, जोकि आपने किसी जरूरतमंद की सेवा के लिए खर्च किया होता है। बैंक में जमा समय के लिए बाकायदा पासबुक मिलेगी। जरूरत के आधार पर किसी भी शहर में अपने या परिजनों के लिए टाइम बैंक से समय निकाल सकेंगे। समय कैसे निकालेंगे, यह बताएंगे खबर में आगे.... लेकिन टाइम बैंक की कहानी काफी दिलचस्प है और जापान से शुरुआत के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड के रास्ते भारत तक पहुंची है। देश में टाइम बैंक की स्थापना जयपुर शहर से हुई, और फिलवक्त 187 पिनकोड में टाइम बैंक की सुविधा मुहैया है।

टाइम बैंक में सिर्फ समय की जमा-निकासी होगी: टाइम बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया वेबसाइट और ऐप के जरिए मुमकिन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ई-केवाईसी अनिवार्य है। खाता खुलने के बाद समय की जमा-निकासी पासबुक में दर्ज होने लगती है। यूं समझिए कि, यदि टाइम बैंक का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है और उसे तयशुदा समय के लिए सहारे-मदद के लिए किसी की जरूरत है तो वह टाइम बैंक के एडमिन से आग्रह करेगा। सेवा का मैसेज उक्त शहर में बैंक से जुड़े सभी सदस्यों के पास पहुंचेगा। इसके बाद जो भी सदस्य अस्पताल में सेवा करने जाएगा तो सेवा के घंटों को उसके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब सेवा करने पहुंचा व्यक्ति अपनी अथवा परिजनों की जरूरत के लिए किसी भी वक्त उतने घंटे सेवा प्राप्त कर सकता है, जितने घंटे उसके खाते में जमा हैं।

- स्विटजरलैंड में सरकार की देखरेख में हुई थी स्थापना
- भारत में 2017 में जयपुर में हुई टाइम बैंक की पहल
- फिलहाल, भारत के 187 इलाकों में टाइम बैंक सक्रिय

एकल परिवारों के लिए टाइम बैंक बहुत मददगार

दरअसल, मौजूदा समय में अधिकांश संयुक्त परिवार बिखरकर एकल हो चुके हैं। ऐसे में अच्छी नौकरी और व्यापार की व्यस्तताओं के कारण अक्सर बुजुर्गों की देखभाल, चिकित्सा अथवा पार्क में टहलाने आदि के लिए भरोसेमंद इंसान की जरूरत पड़ती है। सामाजिक ताना-बाना सिकुड़ने के कारण मोहल्ले-सोसाइटी में रिश्ते कमजोर हुए हैं। ऐसे में टाइम बैंक का सदस्य बनना फायदेमंद है। यदि आप मां-पिता से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो अपने शहर में समय टाइम बैंक के जरिए परोपकार करते हुए बैंक खाते में समय जमा कीजिए, बदले में मां-पिता के शहर में उनकी जरूरत पर भरोसेमंद इंसान की सेवा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपके आग्रह पर मां-पिता या अन्य परिजनों की मदद के पहुंचा व्यक्ति जाना-पहचाना और खरा होगा, क्योंकि बैंक का सदस्य बनने से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य है।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए जापान से हुई शुरुआत

कानपुर में टाइम बैंक के संस्थापक सदस्य महेश पाण्डेय बताते हैं कि, 17वीं शताब्दी में टाइम बैंक का विचार सबसे पहले जापान में सामने आया था। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से वर्ष 1973 के आसपास अमेरिका में टाइम बैंक को टाइम डॉलर के नाम से स्थापित किया गया। इस बैंक में एक घंटे की सेवा पर एक डॉलर के बराबर क्रेडिट मिलता है, लेकिन निकासी के तौर पर डॉलर नहीं, सिर्फ सेवा मिलती है। कुछ दिन बाद इंग्लैंड में टाइम बैंक शुरू हुआ, लेकिन सरकारी दखल के साथ टाइम बैंक की स्थापना का श्रेय स्विटजरलैंड के हिस्से हैं। स्विस सरकार ने 20 टाइम बैंक शुरु किये और आपस में सभी का समन्वय है। इसका लाभ यह हुआ कि, एक शहर में टाइम जमा करने के बाद किसी भी शहर में सेवा प्राप्त करने का अवसर मिलने लगा। महेश का दावा है कि, भारत में टाइम बैंक की स्थापना 2017 में जयपुर के दो कारोबारियों के जरिए हुई, जोकि धीरे-धीरे 187 इलाकों तक पहुंच चुकी है।

कानपुर में टाइम बैंक से जुड़े फिलहाल 25 लोग

महेश पाण्डेय बताते हैं कि, एक साल पहले टाइम बैंक के बारे में पढ़ा तो विचार अच्छा लगा। चर्चा हुई और कारवां बनता गया। फिलहाल, शहर में 25 लोग टाइम बैंक से जुड़ चुके हैं। संस्थापक सदस्यों में रिटायर्ड बैंककर्मी और डॉक्टर के साथ समाजसेवी भी हैं। महेश पाण्डेय का दावा है कि, यह पहल सेवानिवृत्त और अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए संजीवनी साबित होगी। टाइम बैंक का सदस्य बनने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है, जिसमें आधार, पैन या अन्य पहचान पत्र देना होता है। इसके बाद सदस्य का खाता खोला जाता है और उसमें समय दर्ज होने लगता है। फिलहाल, कानपुर में टाइम बैंक के एडमिन की नियुक्त नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल एक-दूसरे की सहायता का अध्याय जारी है।

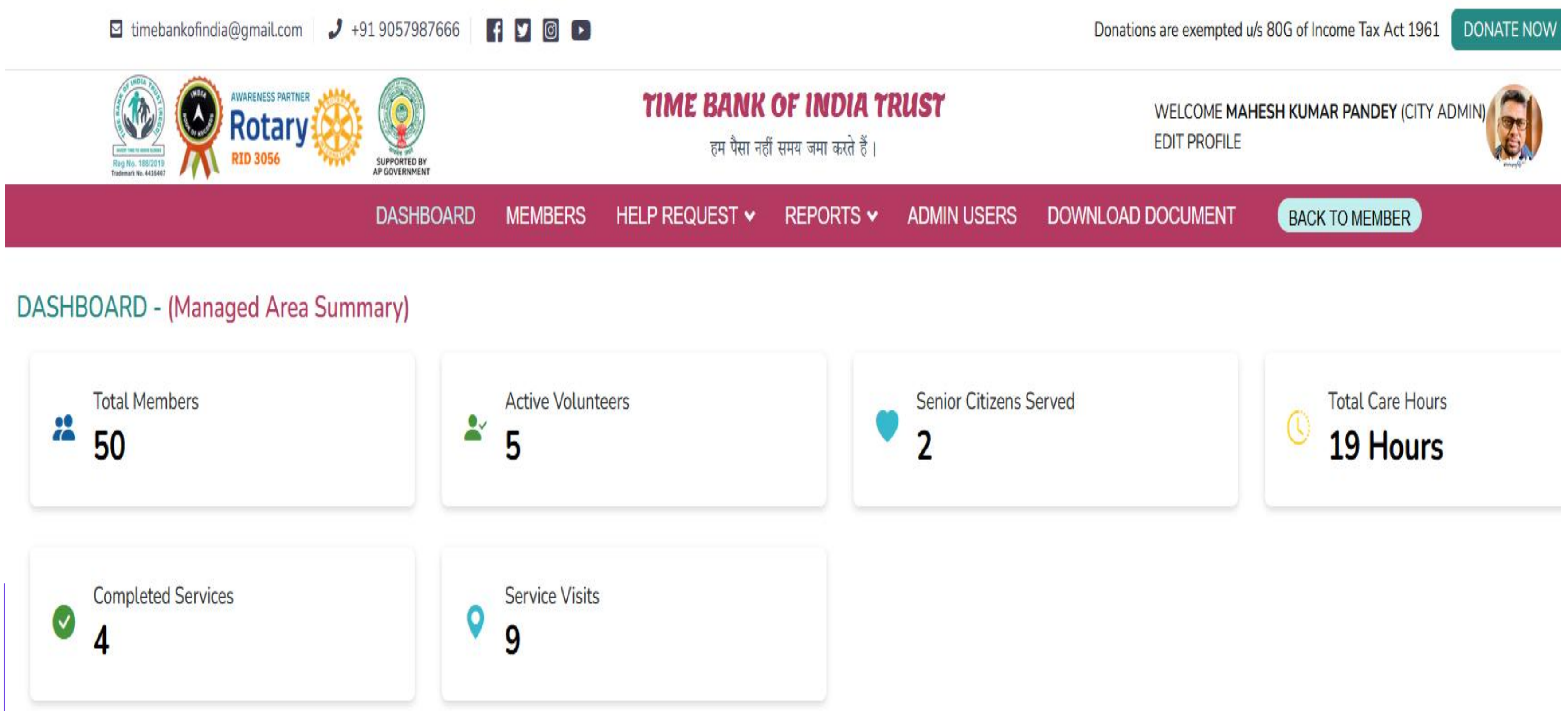

Key Contributions & Impact

Key Contributions

👥 Revived the **Time Bank of India – Kanpur Chapter** by assuming the role of **City Administrator** in October 2025.

✅ Verified and approved member registrations, while guiding new members through the onboarding process.

📅 Organised **five monthly chapter meetings** to strengthen community participation and plan future initiatives.

🤝 Expanded the chapter to **50 registered members**, with **20 verified and active members** and **30 registrations under review** due to pending documentation.

💙 Managed and assigned community **Help Requests**, ensuring that volunteers were connected with people seeking support.

⏳ Facilitated **5 community help requests**, resulting in **20 hours of volunteer service** through the Time Bank platform.

Role as City Administrator

Reviewing and approving new member applications.

Organising monthly chapter meetings.

Promoting the Time Bank movement and encouraging community participation.

Approving and assigning help requests to suitable volunteers.

Building a culture of mutual support, trust, and volunteerism within the community.

Impact

Reviving the Kanpur Chapter transformed it into an active volunteer network in which people contribute their time and skills to support one another. The initiative strengthened community engagement, encouraged volunteerism, and laid the foundation for a sustainable culture of mutual aid in Kanpur.

Asha Girl's E Library & Study Centre

The **Asha E-Library & Study Centre** was established in **November 2025** at the **Apna Ghar campus of Asha Trust Kanpur** to provide a **safe, free, and resource-rich learning space exclusively for girls** from Tatiyaganj and nearby villages.

The nearest private libraries are located in **Mandhana and Chaubepur**, around **6 km away**, and charge a monthly fee. Due to financial constraints, distance, and prevailing social norms, many rural families are reluctant to invest in girls' education or allow them to travel alone. As a result, girls often lack access to a suitable study environment.

To address this gap, the Asha E-Library offers a completely free learning space. **Currently, 25 girls from six nearby villages** use the library regularly. It remains open **from 9:00 AM to 5:30 PM** every day and is managed by one of the girl members, encouraging ownership and leadership among the participants.

The library provides **11 laptops, 10 tablets, free high-speed Wi-Fi (through two Air e connections), colour and black-and-white printers, a photocopier, over 200 competitive examination books, study furniture, drinking water, coolers, fans, and free sanitary pads**—all at no cost to the students.

Asha Girl's E Library & Study Centre

Key Achievements

👩‍🎓 **25 girls from six villages** are regularly using the library for higher education and competitive examination preparation.

🌟 **Two girls secured 100% scholarships at Azim Premji University**, covering tuition, accommodation, and meals (worth approximately **₹6 lakh each**).

- **Varsha** – M.A. in Development, **APU Bengaluru**
- **Anshika** – M.A. in Education, **APU Bhopal**

🤝 Worked closely with both families to build confidence and address concerns, enabling the girls to pursue higher education away from home.

💻 **Seven girls were selected for Nav Gurukul's fully funded Software and Finance programme.** Although their families ultimately chose not to send them, the counselling process highlighted the continuing social barriers to girls' education and employment.

🩺 Organised **online expert sessions on health, menstrual hygiene, and well-being**, creating a supportive learning environment for adolescent girls.

Impact

The Asha E-Library has become more than a study space—it is a **community learning hub** that expands educational opportunities for rural girls, improves digital access, builds confidence, and creates pathways to higher education and future careers, while challenging gender-based barriers to education.

Azim Premji University

Congratulations

ON YOUR MILESTONE

ANSHIKA DWIVEDI

You have been selected for the Postgraduate Programme at Azim Premji University, from a pool of 4500+ applications!

Media Coverage & News Links (2025–2026)

- https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/kanpur-from-brick-kilns-to-classrooms-apna-ghar-changing-fate-of-migrant-children-local18-10020079.html
- https://www.etvbharat.com/hi/!state/mahesh-kumar-of-kanpur-has-collection-of-coins-from-130-countries-rare-coins-foreign-currency-collection-uttar-pradesh-news-ups25070303469
- https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/kanpur-coin-king-mahesh-kumar-130-countries-currency-collection-rare-coins-notes-local18-ws-kl-9386206.html?fbclid=IwY2xjawTEMj9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFybVFnUHQ1ZVBhWkd4S2E5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHu70NPwE3YuIOmwwPDzJ3nHzXl2uZGX8U-l0z_T28rpyaCpBX3jpFWEGvrMv_aem_oSMSxdqIgDxNtmOsPpsfCg
- https://knewsindia.in/rajya/uttar-pradesh/kanpur/asha-trust-has-become-a-ray-of-hope-for-the-children-of-brick-kiln-workers-lighting-the-way-for-education-and-better-life/
- https://www.etvbharat.com/hi/!state/kanpur-time-bank-where-no-money-transaction-only-time-will-be-credit-or-debit-uttar-pradesh-news-ups25082503527
- https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/kanpur-time-bank-concept-opened-in-kanpur-now-transactions-time-not-money-local18-9589536.html
- https://tvindialive.in/state/transact-with-time-not-money-kanpurs-new-time-bank-and-its-benefits
- https://www.tv9hindi.com/state/uttar-pradesh/kanpur-unique-time-bank-has-been-opened-like-japan-transactions-will-be-done-in-time-not-money-3470346.html
- https://english.hindfirst.in/amp/time-bank-opened-in-kanpur-transaction-will-be-not-done-with-money-but-with-time
- https://www.cnbctv18.com/india/healthcare/whats-a-time-bank-a-japanese-idea-breaks-ground-in-kanpur-19665723.htm
- https://thehindipost.com/2025/09/06/time-bank-opened-in-kanpur-deposit-service-hours-withdraw-as-per-need/
- https://www.saahassamachar.in/a-unique-time-bank-started-in-kanpur-transaction-facility-will-be-done-in-time-not-money
- https://www.tv9up.com/cities/kanpur/time-bank-social-initiative-indias-first-community-social-lending-article-9791.html
- https://khashkhabar.com/transact-with-time-not-money-kanpurs-new-time-bank-and-its-benefits/
- https://www.dnaindia.com/hindi/india/photo-gallery-what-is-time-bank-which-transaction-time-not-money-japanese-idea-breaks-ground-in-kanpur-4192461/kayaa-haai-taaima-baainka-kai-khaasaiyata-4192462
- https://mediasaheb.com/a-unique-time-bank-started-in-kanpur-transaction-facility-will-be-done-in-time-not-money/
- https://www.youtube.com/watch?v=is8wcXaoMuc
- https://www.facebook.com/watch/?v=740105252196481&rdid=lg4QB0rQJ8P4IFjK

Thank You

Over the past year, I have had the privilege of working with children, women, workers, and marginalised communities through different initiatives. Every interaction, every challenge, and every small success taught me something valuable. These experiences strengthened my belief that meaningful social change begins with listening to people, building trust, and working together.

I am deeply grateful to **Asha for Education – Silicon Valley Chapter** for giving me this fellowship and believing in my journey. My sincere thanks to my mentors, colleagues, volunteers, partner organisations, and every child, woman, worker, and community member who welcomed me into their lives, shared their experiences, and made this journey meaningful.

This fellowship has been much more than a learning opportunity—it has shaped my perspective, strengthened my commitment to social justice, and inspired me to continue working towards a society where every child has access to education, every worker is treated with dignity, every woman has equal opportunities, and every community has the confidence to raise its voice and shape its own future.

Thank You

Mahesh Kumar
Asha Trust (Kanpur)
685/A Village: Tatiyaganj, Post: Tatiyaganj
Mandhana, Kanpur Nagar-209217, UP, INDIA
Cell No. +91-9838546900, +91-9118911634
Web: https://asha-trust.org/
Project Page: https://ashanet.org/project/?pid=990
F.B. Page: https://www.facebook.com/ashakanpur
YouTube:
http://www.youtube.com/@ashatrustkanpur
Instagram: https://www.instagram.com/ashakanpur/
Blog: http://balsajag.blogspot.com/
Blog: http://rtiup.blogspot.com